निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /DMO-120/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अधिकारी, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, उत्तरकाशी के माह 04/2012 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.12.17 से 26.12.17 तक श्री **नवीन चन्द्र शंखधर** लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** वर्तमान लेखापरीक्षा **में** राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2014 तक एवं व्यय हेतु माह – से – तक **के** लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) **इकाई** के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: – **सम्पूर्ण जनपद उत्तरकाशी**
3. (ii)(अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2012-13	350.99
2013-14	697.78
2014-15	865.88
2015-16	1265.68
2016-17	1210.60

(ii)(ब) बजट का विवरण:-

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
		लागू नही						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन नहीं होता है। गैर राजस्व प्राप्ति को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A---श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव-अपर-स चव-निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक- उपनिदेशक- खान अ धकारी-खान अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 03/2014, 10/2015, 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 अ

प्रस्तरः 01 वभागीय श थलता के परिणामस्वरूप राजस्व हानि `36.23 लाख।

उत्तराखण्ड शासन, औध्यो गक वकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1917/VII-1/130-ख/2013 दिनाँक 23 सतम्बर 2013 द्वारा जनपद के स्थायी निवा सयों को एक व्यक्ति एक पट्टा के सद्धांत पर 05 हे॰ से कम क्षेत्रफल हेतु पट्टे का आवंटन कये जाने का प्रावधान कया गया था।

उक्त शासनादेश के बिन्दु 9(iv)(पाँच) के अनुसार यह प्रावधान कया गया था क सफल नि वदाकार द्वारा खनन सं क्रयाएँ प्रारम्भ करने के उपरान्त आगामी माह की 20 तारीख तक अ ग्रम जमा कया जायेगा। निर्धारित ति थ तक अ ग्रम जमा न कये जाने की दशा में खान अ धकारी द्वारा 10 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 15% वा र्षक ब्याज सहित जमा कये जाने का नोटिस जारी कया जायेगा। यदि नोटिस के उपरान्त भी अ ग्रम जमा नहीं कया जाता है तो पुनः खान अ धकारी द्वारा 07 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 18% वा र्षक ब्याज की दर से नोटिस जारी कया जायेगा। यदि नोटिस के उपरान्त भी अ ग्रम जमा नहीं कया जाता है तो जिला धकारी द्वारा प्रतिभूति व अ ग्रम धनरा श का समायोजन करते हुये खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

पट्टा निरस्तीकरण के उपरान्त जिला धकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर दूसरी नि वदा प्र क्रया पूर्ण होने तक अर्थात जब तक दोबारा निय मत कार्य प्रारम्भ न हो जाये तब तक की अव ध हेतु उक्त क्षेत्र को दैनिक आधार पर स्थानीय लोगों को निकासी हेतु दिया जायेगा और उक्त क्षेत्र में हो रहे प्रतिदिन राजस्व हानि को पूर्व में आवंटित सफल नि वदाकार द्वारा जमा solvency certificate से वसूल कया जायेगा।

आगे, शासनादेश के बिन्दु 9(iv)(चार) के अनुसार जमा मा सक अ ग्रम कश्त के सापेक्ष ही मा सक खनिजो की मात्रा के परिवहन हेतु प्रपत्र एम॰ एम॰-11 जारी कया जायेगा। यदि सफल नि वदाकार निर्धारित दिनाँक से पूर्व एम॰ एम॰-11 प्राप्त करना चाहता है तो आगामी भुगतान की कश्त जमा कर एम॰ एम॰-11 प्राप्त कर सकता है।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी में नि वदा द्वारा आवंटित उप-खनिज पट्टों से संबन्धित पत्राव लयों की जाँच में पाया गया क पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त धरासू स्थित उप-खनिज लॉट खसरा सं॰ 1225 म॰ रकवा 0.232 हे॰ क्षेत्रफल का आवंटन श्री गोपालम ण पुत्र खलानन्द, निवासी ग्राम-गमरी, चन्यालीसौड को उच्चतम नि वदा के आधार पर बालू, बजरी व बोल्डर के चुगान हेतु उक्त शासनादेश की शर्तों के अधीन कया गया था। खनन पट्टे का वलेख दिनाँक 28.01.2014 को निष्पादित कया गया जिसकी अव ध उक्त शासनादेश के अनुसार पट्टा वलेख की ति थ से 03 वर्ष या 30 सतम्बर 2016 जो भी पहले हो, के अनुसार थी। खनन क्षेत्र का मूल्याँकन `12,60,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित करते हुये सम्पूर्ण

अव ध हेतु `37,80,000/- मूल्याँकन कया गया था। पट्टाधारक द्वारा `1,57,000/- प्रथम कस्त तथा `3,15,000/- प्रतिभूति रा श एफ॰डी॰आर॰ के रूप में जमा कया गया था।

आगे जाँच में पाया गया क प्रथम कश्त के अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा पट्टा धनरा श की कोई कश्त वर्तमान तक जमा नहीं करायी गयी थी। यह भी पाया गया क अ ग्रम कश्त उपरान्त पट्टाधारक को दिनाँक 22.12.2014 व 17.03.2015 को प्रपत्र एम॰एम॰-11 निर्गत कये गये थे जिनके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसंबर 2014 में उपखनिज की निकासी की गयी थी जब क नियमानुसार पट्टा धनरा श अ ग्रम जमा न कराये जाने की दशा में प्रपत्र एम॰एम॰-11 निर्गत नहीं कया जाना था एवं अ ग्रम धनरा श तथा प्रतिभूति रा श का समायोजन कर पट्टा निरस्त कया जाना था।

आगे यह भी पाया गया क पट्टाधारक द्वारा माह दिसंबर 2014 में देय रॉयल्टी की धनरा श माफ कये जाने व पट्टा क्षेत्र का पुनः मूल्यांकन कये जाने हेतु शासन में अपील की गयी थी। परंतु, वर्तमान तक उक्त पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था जब क माह सतंबर 2016 में पट्टे की अव ध समाप्त हो गयी थी।

अतः नियमानुसार पट्टा निरस्त कर पुनः आवंटन नहीं कया गया था एवं न ही दैनिक आधार पर ही निकासी कराई गयी थी जिसके परिणामस्वरूप वभाग ` 36,23,000/- (37,80,000 - 157000) के राजस्व प्राप्ति से वं चत रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा क पट्टाधारक द्वारा देय रॉयल्टी माफ कये जाने व मूल्याँकन पुनः कये जाने हेतु शासन में अपील की गयी है जिस पर निर्णय अपे क्षत है। आगे यह भी कहा गया क पट्टा अव ध की समाप्ति दिनाँक 30 सतम्बर 2016 के उपरान्त शासन स्तर से पुनः नि वदा हेतु निर्देश प्राप्त नहीं होने तथा पूर्व में निर्गत शासनादेश में व र्णत दिशा निर्देशानुसार दिनाँक 30 सतम्बर 2016 उपरान्त नया खनन पट्टा निर्गत नहीं हुआ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त आदेश की शर्तो अनुसार पट्टा धनरा श जमा न होने की दशा में पट्टा निरस्त कर पुनः आवंटन कया जाना था एवं दैनिक आधार पर निकासी की जानी थी, जो क नहीं कया गया। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण पट्टा अव ध व्यतीत हो जाने के बाद भी वभाग पट्टाधारक की अपील पर कोई निर्णय नहीं ले सका जिससे क पुनः पट्टा आवंटन की प्र क्रया नही की जा सकी। आगे यह भी पाया गया क वभाग द्वारा पट्टा धारक की जमा प्रतिभूति भी जब्त नहीं की गयी थी एवं न ही राजस्व हानि को नि वदाकार द्वारा जमा solvency certificate से वसूल कया गया था। परिणामस्वरूप वभाग `36.23 लाख की राजस्व प्राप्ति से वं चत रहा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 अ

प्रस्तर- 02: रिवर ट्रेनिंग, वकास शुल्क व क्षतिपूर्ति शुल्क जमा न कराया जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति `25.92 लाख ।

उत्तराखंड, औघो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 3(3) के अनुसार रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं वकास शुल्क रॉयल्टी का 10% अतिरिक्त रूप से देय होगा और यह निजी पट्टाधारकों पर भी लागू होगा । पुनः उत्तराखंड शासन, औघो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1689/VII-1/80-ख/2016 देहरादून, दिनाँक 28.10.2016 द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1585/80-ख/2016 दिनाँक 10.10.2016 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं॰ - 7 के प्रावधानानुसार संशोधन करते हुये उप-खनिज की निकासी हेतु निजी भू म में रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं वकास शुल्क रॉयल्टी का 10% एवं क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 15% कये जाने का प्रावधान कया गया था ।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क 07 खनन पट्टाधारकों (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा रिवर ट्रेनिंग एवं वकास शुल्क ` 22,29,158/- तथा क्षतिपूर्ति शुल्क ` 3,62,675/- (कुल ` 25,91,833/-) जमा नहीं कराया गया था । जिसके परिणामस्वरूप वभाग धनरा श ` 25,91,833/- के राजस्व प्राप्ति से वं चत रहा ।
लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा क पट्टा वलेख के टंकण व निष्पादन की ति थ को निर्धारित रॉयल्टी की दर से खनिज की मात्रा के सापेक्ष आंगणन कर वा र्षक पट्टा धनरा श का निर्धारण कया गया था। तत्समय रिवर ट्रेनिंग व वकास शुल्क लए जाने का प्रावधान नहीं था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त व र्णत शासनादेशो के अनुसार दिनाँक 31.07.2015 से 25% की दर से रिवर ट्रेनिंग व वकास शुल्क तथा दिनाँक 28.10.2016 से 15% की दर से क्षतिपूर्ति शुल्क भी पट्टाधारकों से लया जाना था।

अतः राजस्व क्षति ` 25,91,833/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 क

प्रस्तरः 03 अर्थदण्ड का अनारोपण `20.00 लाख।

उत्तराखण्ड शासन औघो गक वकास अनुभाग की अ धसूचना सं॰ 1031/VII-1/2015/158-ख/2004, देहरादून, दिनाँक 31.07.2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 12(2) के अनुसार खनिज के भंडारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी स्वयं द्वारा भंडारित एवं परिवहन कये गये खनिजों के सही लेखा की एक प्रति प्रपत्र एल में प्रस्तुत करेगा। नियम 13(2)(घ) के अनुसार स्वीकृत भंडारण मात्रा से मौके पर 2% से अ धक भंडारित मात्रा पायी जाती है तो भंडारित मात्रा के लये वैध प्रपत्र एम॰एम॰-11 प्रस्तुत करने पर अर्थदण्ड के रूप में `2.00 लाख की धनरा श वसूल की जायेगी तथा यदि भंडारकर्त्ता वैध प्रपत्र एम॰एम॰-11 प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसके वरूद्ध नियम 13(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी की भंडारण से संबन्धित पत्रवा लयों की जाँच में पाया गया क मै॰ फाइव जोन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन एंड स्टोन क्रैशर, परमार भवन, तिलोथ को दिनाँक 11.06.2015 से 02 वर्षों हेतु प्रस्ता वत स्थल पर एक बार में कुल 3000 घन मी॰ उप-खनिज भंडारण की अनुज्ञप्ति जिला धकारी द्वारा दी गयी थी। आगे जाँच में पाया गया क भंडारकर्त्ता द्वारा दा खल प्रपत्र एल के अनुसार स्वीकृत मात्रा से अ धक उप-खनिज का भंडारण कया जा रहा था, जिस पर नियमानुसार `20.00 लाख अर्थदण्ड आरोपणीय था (ववरण संलग्न)।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क मै॰ फाइव जोन डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन एंड स्टोन क्रैशर को आपदा प्रबन्धन प्रा धकरण/जिला धकारी, उत्तरकाशी द्वारा भागीरथी नदी में जमा मलबे आर॰बी॰एम॰ को निकाले जाने की अनुमति दिनाँक 30.05.2013 को प्रदान की गयी थी तथा फर्म द्वारा जनपद में अन्य फ़र्मों को रिवर चैनलाइजेशन हेतु दी गयी अनुमति वर्ष 2014 व 2015 में कुल 6182 घन मी॰ खनिज का क्रय कया गया तथा उक्त समस्त उप-खनिजों को उनके द्वारा अपने क्षेत्र में एकत्रित कया गया। चूं क आपदा प्रबन्धन के तहत त्वरित कार्यवाही कर नदी तल से RBM हटाना अपरिहार्य था इस लए उक्त RBM को उ चत स्थान पर रखना आवश्यक था क्यों क फर्म द्वारा प्राप्त कये गये RBM/निकासी कये गये RBM की रॉयल्टी का भुगतान कया गया था। मै॰ फाइव जोन द्वारा RBM के भंडारण हेतु जिला धकारी कार्यालय में दिनाँक 13.12.2013 को 100000 घन मी॰ भंडारण हेतु आवेदन कया गया था जिसके सापेक्ष शासन के आदेश दिनाँक 19.05.2015 तथा जिला धकारी के आदेश दिनाँक 11.06.2015 द्वारा कुल 3000 घन मी॰ (एक बार में रखे जाने) की अनुमति प्रदान की गयी। वर्ष 2013, 2014 व 2015 में फर्म को अनुज्ञा स्वीकृत नहीं थी परंतु फर्म द्वारा आपदा के तहत उठाये

गये अतिरिक्त RBM को उनके द्वारा भंडारण हेतु आवेदित स्थल पर पूर्व से ही आपदा प्रबन्धन अ धनियम-2005 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जनहित में कराया गया था। अर्थदण्ड के सम्बंध में बताया गया क मुख्यालय, देहरादून से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लये पत्राचार कया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क लेखापरीक्षा में आप त्त सर्फ स्टोन क्रैशर द्वारा crush कर रखे खनिज के सम्बंध में है जिसका मा सक ववरण प्रपत्र एल पर फर्म द्वारा प्रस्तुत कया गया था। इसके अतिरिक्त, फर्म द्वारा आवेदित 01 लाख घन मी॰ के सापेक्ष मात्र 3000 घन मी॰ भंडारण की ही अनुमति दी गयी थी एवं इकाई द्वारा इस सम्बंध में प्रस्तुत आख्या तथा शासन/जिला धकारी द्वारा जारी स्वीकृति में फर्म द्वारा पूर्व में एकत्र कये गये उप-खनिज/मलबे के निस्तारण/भंडारण हेतु कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी।

अतः अर्थदण्ड `20.00 लाख के अनारोपण का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 अ

प्रस्तर- 04 : वनिय मतिकरण व नवीनीकरण शुल्क की धनरा श `14.25 लाख जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन औध्यो गक वकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 के अंतर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर अनुज्ञा नीति 2016 के बिन्दु 2(छ) के अनुसार जिला उत्तरकाशी का सम्पूर्ण भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपरोक्त नीति के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्था पत/संचा लत स्टोन क्रैशर स्वा मयों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घो षत कया जाना था। घो षत प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का वनियमतिकरण जिला धकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा कया जाना था। वनियमतिकरण शुल्क की गणना घो षत क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार कया जाना था। इस रा श में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनरा श की 50 प्रतिशत धनरा श निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराई जानी थी। नीति की घोषणा के एक माह बाद ई प्रपत्र जे केवल वनियमतिकरण प्लान्ट को ही जारी कया जाना था।

अध्याय-II के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रैशर प्लान्ट हेतु आवेदन शुल्क की धनरा श `5.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) निश्चित की गयी थी। अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रैशर का नवीनीकरण वा र्षक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत था। अध्याय-IV के बिन्दु-4 के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्लान्ट के संचालन हेतु पंजीकरण का नवीनीकरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से कराया जाना आवश्यक था। आगे, अध्याय-I के बिन्दु 5(ड) के अनुसार स्टोन क्रैशर स्वामी द्वारा वा र्षक शुल्क जमा न कराये जाने की दशा में तैयार माल के परिवहन हेतु संबन्धित जनपद के खान अ धकारी द्वारा ई-प्रपत्र जे जारी नहीं कया जायेगा।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी के क्षेत्रा धकार में स्टोन क्रैशर की पत्रवा लयों की नमूना जाँच में पाया गया क 06 स्टोन क्रैशर स्वा मयों (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा वनिय मतिकरण शुल्क रु 10,50,000/- व नवीनीकरण शुल्क `3,75,000/- (कुल ` 14,25,000/-) जमा नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया क मै0 श्री गणपति इण्टरप्राइजेस व मै0 गंगाडी इण्टरप्राइजेस को संयंत्र की क्षमता प्रति टन घो षत करने हेतु पत्र प्रे षत कया गया है। शेष स्टोन-क्रैशर के

वनिय मतिकरण हेतु कार्यवाही प्रगतिरत है तथा नवीनीकरण के संदर्भ में कहा गया क स्टोन क्रैशर की स्वीकृति अव ध 3 से 5 वर्ष है । इसके अतिरिक्त फाइव जोन डेवलपमेन्ट एण्ड स्टान क्रेशर की स्वीकृति दिनाँक 08.01.2017 को समाप्त हो चुकी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त व र्णत आदेश अनुसार स्टोन-क्रैशर स्वा मयों द्वारा नीति की घोषणा के 15 दिन के भीतर वनिय मतिकरण हेतु अपनी क्षमता टन/घण्टा घो षत करनी थी जिससे क वनिय मतिकरण शुल्क जमा कराया जा सके एवं वा र्षक नवीनीकरण शुल्क भी अनुज्ञप्ति अव ध में प्रत्येक वर्ष उपरान्त जमा कराया जाना था, जो क लेखापरीक्षा ति थ (दिसंबर 2017) तक जमा नहीं कराया गया था। आगे, इकाई द्वारा यह भी बताया गया क रजिस्ट्रेशन कराने उपरान्त ई-रवन्ना ऑनलाइन स्वतः ही जारी हो रहे हैं।

अतः स्टोन क्रैशर संचालकों द्वारा नियमानुसार वनिय मतिकरण शुल्क `1050000/- व नवीनीकरण शुल्क `3,75,000/- (कुल `14,25,000/-) जमा न कराये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर: 01 स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण `2.35 लाख।

इं डयन स्टाम्प अ धनियम,1899 की धारा 33 के अनुसार व ध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लए अ धकृत, पु लस अ धकारी के सवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्य के सम्पादन में कोई ऐसा वलेख प्रस्तुत कया जाये, जो उसके राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो क वह वलेख यथा व ध स्टां पत नहीं है, उसे जब्त करेगा।

पुनः धारा-35 के अनुसार व ध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लये अ धकृत कसी व्यक्ति द्वारा ऐसे वलेख को जो शुल्क से प्रभार्य है, साक्ष्य स्वीकार नहीं कया जाएगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा या कसी सार्वजनिक अ धकारी द्वारा उसको कार्यान्वित रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणीकृत नहीं कया जायेगा, जब तक क वह वलेख यथा व ध स्टां पत न हो। रजिस्ट्रेशन अ धनियम, 1908 की धारा-17 (1) (घ) में यह प्रावधान कया गया है क वर्षानुसार या 01 वर्ष से अ धक कसी अव ध के लये या वा र्षक कराया सुर क्षत करने वाली अचल संप त्त की लीज के लेख पत्र का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। लीज के जो वलेख 01 वर्ष से कम अव ध के हैं उनका रजिस्ट्रीकरण एछिक है कन्तु उसके प्रतिफल की धनरा श पर स्टाम्प शुल्क अदा कया जाना अपे क्षत है।

पुनः महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखंड के पत्रांक 827/म०नि०नि०/2013-14 दिनांक 23.12.2013, जो समस्त जिला धकारी को संबो धत है, के द्वारा यह निर्देश दिये गए हैं क समस्त कार्यालय अध्यक्ष इं डयन स्टाम्प अ धनियम की धारा-33 के अवलोकन में उनके कार्यालय में वगत 08 वर्षो में निष्पादित कए गए व भन्न प्रकार के वलेखों का परीक्षण कर लें एवं यदि कसी प्रकरण में स्टाम्प कमी का मामला दृष्टिगोचर हो तो संबन्धित अ भलेख की प्रति अपनी आख्या सहित यथा शीघ्र अपने जनपद के कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी के लेखा भलेखों की नमूना जाँच में स्टाम्प शुल्क से संबन्धित निम्न प्रकरण प्रकाश में आए:

(A) कार्यालय में स्टोन क्रैशर संचालकों की पत्रवा लयों की जाँच में पाया गया क 02 स्टोन क्रैशर संचालकों द्वारा स्टोन क्रैशर की स्थापना हेतु 11 भू-स्वा मयों से 03 से 10 वर्षों हेतु भू म पट्टे पर ली गयी थी एवं करायानामा `100.00 से `110.00 तक के स्टाम्प पर ही वले खत कया गया था। नियमानुसार करायेनामों/वलेखों पर `49709/- स्टाम्प शुल्क देय था जब क `1229/- स्टाम्प शुल्क ही लया गया था (संलग्नक-I)। अतः संबन्धित प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को

संद र्भत न करने से `48480/- के स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई थी। (गणना **MS Excel**)

(B) कार्यालय में खनन पट्टा-धारकों द्वारा निष्पादित पट्टा- वलेख क जाँच में पाया गया क 05 पट्टाधारकों (संलग्नक-**II**) द्वारा स्टां पत कराये गए पट्टा वलेख में `1,86,494/- का स्टाम्प शुल्क कम दिया गया था। नियमानुसार एक वर्ष से अ धक कन्तु पाँच वर्ष से अन धक पट्टा वलेखों पर औसत वा र्षक मूल्य का तीन गुणा तथा पांच वर्ष से अ धक कन्तु दस वर्षों से अन धक पट्टा वलेखों पर औसत वा र्षक मूल्य के 4 गुना पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क देय था। उक्त प्रकरण कलेक्टर स्टाम्प को संद र्भत नहीं कए जाने से `1,86,494/- की स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई।(गणना **MS Excel**)

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क खनन पट्टा वलेख/करायेनामा वलेख का निष्पादन जिला धकारी व पट्टा धारक के मध्य संपादित कये जाने का प्रावधान है। इस कार्यालय द्वारा संबन्धित खनन पट्टे क्षेत्र की मूल्यांकन आख्या प्रे षत की जाती है तथा जिला उप-निबंधक को इस आशय की एक प्रति प्रे षत की जाती है क स्वीकृत खनन पट्टे हेतु निर्धारित पट्टा धनरा श पर देय स्टाम्प शुल्क के सम्बंध में अवगत कराएँ। खनन पट्टा वलेख का पंजीकरण जिला उपनिबंधक अ धकारी द्वारा कया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क जिला उप-निबंधक को प्रे षत पट्टे के सम्बंध में स्टाम्प शुल्क नियमानुसार सही लया गया था। आप त्तगत प्रकरणों में जिला उप-निबंधक से स्टाम्प शुल्क की गणना हेतु नहीं चाहा गया था। इसके अतिरिक्त इं डयन स्टाम्प अ धनियम,1899 की धारा 33 व महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखंड के पत्रांक 827/म॰नि॰नि॰/2013-14 दिनांक 23.12.2013 के अनुसार कार्यालय प्रभारी को वगत 08 वर्षों में निष्पादित व भन्न वलेखों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर को संद र्भत करना था, जो क नहीं कया गया था।

अतः स्टाम्प शुल्क `48,480+1,86,494.00 (कुल `2,34,974/-) के न्यूनारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर:02 रॉयल्टी की धनरा श का न्यूनारोपण `0.07 लाख।

उत्तराखण्ड शासन औघो गक वकास अनुभाग-I, अ धसूचना सं॰ 211/VII-1/2015/24-ख/2007, दिनाँक 26.02.2016 के बिन्दु 2(10) के अनुसार साधारण मट्टी की रॉयल्टी दर रु 50/टन निर्धारित थी।

पुनः उत्तराखण्ड शासन औघो गक वकास वभाग, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010, दिनाँक 31.07.2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट, आदि) नीति, 2015 के नियम 3(1) के अनुसार जनपद उत्तरकाशी का सम्पूर्ण भाग पर्वतीय क्षेत्र है एवं तत्समय निर्धारित रॉयल्टी दर का 50% लागू होगा।

खनिज की मात्रा के आंगणन का फॉर्मूला निम्न था:

खनिज की मात्रा (टन में)=क्षेत्रफल (वर्ग मी॰)x1.00 मी॰ गहराई x 2.2 बल्क डेन्सिटी

कार्यालय, जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी में भू म समतलीकरन के दौरान निकलने वाली मट्टी आदि की पत्रावली की जाँच में पाया गया क श्री अनूप बिष्ट पुत्र श्री महावीर संह, ग्राम-कुराहा/, तहसील डूण्डा, उत्तरकाशी द्वारा उनके भवन निर्माण के दौरान निकलने वाली मट्टी मात्रा 150 वर्ग मी॰ को जल वघुत निगम की धराशू बैंड को वक्रय कया गया था एवं इस पर रॉयल्टी `1200.00 चालान के माध्यम से जमा कया गया। नियमानुसार मट्टी की रॉयल्टी का निर्धारण निम्नवत कया जाना था:

खनिज की मात्रा (टन में)=150 वर्ग मी॰X1.00 मी॰X2.2 = 330 टन

अतः रॉयल्टी (`) = (`50 का 50%)*330 टन

= `8250.00

चूं क पूर्व में `1200/- ही जमा कये गये थे अतः अंतरीय रॉयल्टी की रा श `7050.00 (8250-1200) देय थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क कार्यालय द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनाँक 31.03.2016 (संशो धत) में कुल `6000/- रॉयल्टी निर्धारित की गयी थी। मट्टी की बल्क डेन्सिटी 1.6/घन मी॰ होने बावत व भन्न तकनीक वभागों के तकनीकी व्यक्तियों से संपर्क करने उपरांत आंग णत की गयी थी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उपरोक्त व र्णत नियमानुसार आंगणन कया जाना अपे क्षत था एवं अनुज्ञाधारक को `7050.00 रायल्टी के रूप में और जमा कया जाना था।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा है		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वीरेन्द्र कुमार संह	खान अ धकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला खान अ धकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र